सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 149 राँची, गुरुवार, 11 फाल्गुन, 1938 (श०) / 2 मार्च, 2017 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2017

संख्या-ख०नि०(विविध)-153/05-513/एम०-- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 (अधिनियम संख्या-67/1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में निम्नांकित संशोधन करते हैं ।

(i) (क) यह नियमावली " झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) **नियमावली, 2017**" कहलायेगी ।

(ख) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

(ii) नियम-6 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

6 (क) खनन पट्टा की स्वीकृति संघत क्षेत्र, जिसके लिए समेकित खनन योजना तैयार किया जाएगा एवं समेकित पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

(ख) खनन पट्टा क्षेत्र का रकबा यथा संभव 5.00 हे० से कम नहीं होगा ।

परन्तु कि खनिज की उपलब्धता का क्षेत्रफल कम होने की स्थिति में सुसंगत नियमों के आलोक मे 5.00 हे० से कम क्षेत्र पर भी खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।

परन्तु कि भूतत्व निदेशालय से इस आशाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि प्रस्तावित क्षेत्र में 05.00 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर खनिज उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए खनन पट्टा दिया जा सकता है अथवा नवीकृत किया जा सकता है- राज्य में कोई भी व्यक्ति 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का, लघु खनिज का एक अथवा एक से अधिक खनन पट्टा नहीं प्राप्त कर सकता है । बशर्ते कि राज्य सरकार का यह विचार हो कि खनिज के विकास की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, राज्य सरकार उपर्युक्त अधिकतम सीमा से अधिक क्षेत्रफल के लिए कारण को अंकित करते हुए किसी व्यक्ति को एक या एकाधिक खनन पट्टा के लिए अनुमति पत्र दे सकती है ।

(घ) लघु खनिज अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने वाले खनन पट्टा क्षेत्र में खान की अधिकतम गहराई उक्त क्षेत्र में स्थायी जल स्तर से अधिक नहीं होगा । आवेदक एवं उनके प्राधिकृत खनन योजना तैयार किए जाने वाले आर.क्यू.पी. को प्रत्येक खनन पट्टा क्षेत्र के लिए उक्त क्षेत्र का एक भूगर्भीय जल अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करना अनिवार्य होगा । भूगर्भीय जल अध्ययन प्रतिवेदन के बिना खनन योजना विधिमान्य नहीं होगा ।

(iii) नियम-7 निम्न प्रकार प्रति स्थापित किया जाता है:-

अनुसूची-2 में अंकित खनिजों का खनन पट्टा अधिकतम 10 वर्षों के लिए तथा अनुसूची-2(क) में अंकित खनिज का खनन पट्टा न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किए जाएगें।

~~परन्तु कि अनुसूची-2 में अंकित ग्रेनाईट, मार्बल, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर का खनन पट्टा अधिकतम 30 वर्षों के लिए स्वीकृत किए जायेंगे ।~~

(iv) नियम-9(1)(क) निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुसूची-2 के रैयती भूमि के 05.00 हे० क्षेत्र से कम लघु खनिज का खनन पट्टा उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा ।

परन्तु कि रैयती क्षेत्र के लघु खनिज के 05.00 हेक्टेयर से उपर क्षेत्र पर खनन पट्टा एवं बालू खनिज, ग्रेनाईट, मार्बल, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर के खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज नीलामी नियमावली (जो अलग से परिभाषित एवं निर्गत किया जाएगा) में निरूपित प्रावधानो के अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान के द्वारा किया जाएगा। परन्तु राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नीलामी हेतु उपायुक्त को भी प्राधीकृत कर सकती है । परन्तु कि अधिसूचना संख्या-1653/एम०, राँची, दिनांक 6 सितम्बर, 2016 के द्वारा अधिसूचित 31 (इकतीस) खनिजों के संबंध में खनन पट्टा की स्वीकृति झारखण्ड लघु खनिज नीलामी नियमावली (जो अलग से परिभाषित एवं निर्गत किया जाएगा) में निरूपित प्रावधानो के अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिक नीलामी के माध्यम से निदेशक, खान द्वारा किया जाएगा ।

परन्तु कि उपरोक्त 31 (इकतीस) खनिजों एवं बलुआ पत्थर, ग्रेनाईट, मार्बल एवं सजावटी पत्थर के मामले में नीलामी से पूर्व खनिज की उपलब्धता एवं गुणवता की जाँच कर ब्लॉक चिन्हित करने का कार्य भूतत्व निदेशालय, झारखण्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अन्वेषण प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा ।

सामुदायिक सम्पति यथा पूल, सड़क, तालाब, नदी, भवन, धार्मिक स्थल, श्मशान घाट, पहाड़ आदि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा स्थापित मापदण्डों के अनुरूप सुरक्षा प्रक्षेत्र चिन्हित करना होगा, जिसमें खनिजों का खनन कार्य नहीं होगा ।

(v) नियम-9(1)(ग) के उपरान्त नियम-9 (1)(घ), 9(1)(ङ) 9(1)(च) एवं 9(1)(छ) निम्नप्रकार अन्तः स्थापित किया जाता है:-

(घ) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे० क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर खनन पट्टे हेतु प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः अयोग्य हो जाएंगें ।

(ङ:) सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे० क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर प्राप्त वैसे आवेदन पत्र जिसमें इस अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पूर्व झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम-11 अन्तर्गत **Letter of Intent** (आशय का पत्र) निर्गत हो चुका है, उसे इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के अंदर पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन योजना अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा ।

(च) सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे० क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर प्राप्त वैसे खनन पट्टे, जो नवीकरण अन्तर्गत थे एवं पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजना प्राप्त नहीं रहने के कारण कालतिरोहित हो गये हो, उनके पट्टे की अवधि पट्टा स्वीकृति/नवीकरण की तिथि से 31 मार्च, 2020 तक के लिए अवधि विस्तारित मानी जाएगी, वशर्त्ते कि अधिसूचना की तिथि के पूर्व खनन पट्टा के अस्वीकृति/रद्द/व्ययगत होने का आदेश् नहीं पारित किया गया है, परन्तु वैसे खनन पट्टे पर कोई खनन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जबतक कि खनन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति/वन एवं पर्यावरण विभाग की स्वीकृति/खनन योजना स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाता है । आवेदक को सभी वांछित अनापत्ती 180 दिनों के अन्दर समर्पित करना होगा ।

(छ) सरकारी क्षेत्र एवं 05.00 हे० क्षेत्र से अधिक के रैयती क्षेत्र पर स्वीकृत/नवीकृत खनन पट्टे की अवधि यदि उनकी स्वीकृति/ नवीकरण की अवधि 31 मार्च, 2020 के बाद की तिथि हो, तो उनकी अवधि उनकी स्वीकृति/नवीकरण की अवधि तक विधिमान्य रहेगी ।

(vi) नियम-9(9) के उपरान्त नियम--9(10) एवं नियम-9(11) निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:-

(10) अनुसूची-2(क) में उल्लेखित खनिजों के खनन पट्टों एवं उनकी पट्टा अवधि 31 मार्च, 2020 तक विस्तारित मानी जाएगी, वशर्त्ते कि अधिसूचना की तिथि के पूर्व खनन पट्टा के अस्वीकृति/रद्द/व्ययगत होने का आदेश् नहीं पारित किया गया है, परन्तु वैसे खनन पट्टे पर कोई खनन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जबतक कि खनन हेतु आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति/वन एवं पर्यावरण विभाग की स्वीकृति/खनन योजना स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाता है ।

(11) केन्द्रीय एवं राज्य लोक उपक्रम तथा राज्य सरकार के कार्य विभाग अन्तर्गत सड़क, पुल, इत्यादि विकास एवं निमार्ण कार्य के लिए खनन पट्टों के स्वीकृति/नवीकरण के मामलों में राज्य सरकार खनन पट्टा नियमानुसार स्वीकृत कर सकती है ।

(vii) -11(ग) के परन्तुक में "हस्तांतरण' के जगह "स्वीकृति' प्रतिस्थापित की जाती है ।

(viii)-12(1), 12(2), 12(3) एवं 12(4) निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है तथा नियम-12(5) एवं नियम-12(6) निम्न प्रकार जोड़ा जाता है :-

12(1) जिला प्रशासन के सहयोग से जिला/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा बालू के लिए संपूर्ण बालूधारित क्षेत्र का ब्लॉक चिन्हित कर नक्शा बनाया जाएगा, जिसमें वनभूमि, गैर वनभूमि और रैयती भूमि के साथ पुल-पुलिया एवं अन्य आधारभूत संरचना को भी उसमें प्रदर्शित किया गया हो ।

12(2) चिन्हित ब्लॉक की इलैक्ट्रोनिक नीलामी के माध्यम से नीलामी द्वारा 5 (पांच) वर्षों के लिए बन्दोबस्त किया जाएगा ।

12(3) चिन्हित ब्लॉक की इलैक्ट्रोनिक माध्यम से नीलामी के उपरांत अनुमोदित खनन योजना एवं वैधानिक अनापति प्रमाण पत्र यथा पर्यावरणीय स्वीकृति बन्दोबस्तधारी द्वारा अधिकतम 01 वर्ष के अन्दर सक्षम स्तर से प्राप्त कर समर्पित करना होगा ।

12(4) बालूघाटों की बन्दोबस्ती से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाले अंश क्षेत्र के आनुपातिक रूप से संबंधित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र/ नगर पंचायत/नगर निगम को तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार को प्राप्त होगा ।

12(5) बन्दोबस्त बालूघाटों में बालू के अधिकतम खनन/उठाव की गहराई 3 मीटर या भूगर्भीय जल स्तर जो कम होगा तक की स्वीकृति रहेगा ।

12(6) नदी पर निर्मित पुल अथवा तटबंध की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्रक्षेत्र चिन्हित करना होगा, जिसके क्षेत्र में बालू का खनन/उठाव नहीं होगी ।

(ix) नियम-16 निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

खनन पट्टा की स्वीकृति के 60 दिनों के अंदर अनुदान ग्रहिता, सर्वेक्षण एवं सीमांकन अपने खर्च पर करायेंगे एवं 01 मीटर ऊँचा, 25 सेंटीमीटर चैड़ा एवं 25 सेंटीमीटर मोटा (100 सेमी X 25 सेमी X 25 सेमी) सीमा स्तंभ सीमेंट का निर्माण करायेंगे जो जमीन के अंदर कम से कम 50 सें०मी० धसा होगा एवं जिसपर अक्षांश एवं देशान्तर बिन्दु अंकित होगा ।

(x) नियम-24(5) के उपरान्त नियम-24(6) निम्न प्रकार अन्तः स्थापित किया जाता है:-

24(6)-पट्टेधारी की मृत्यु के उपरान्त उपायुक्त द्वारा पट्टेधारी के वैद्य उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने पर वैद्य उत्तराधिकारी के पक्ष में पट्टे का नामान्तरण किया जा सकेगा ।

(xi) नियम-29(1)(क) एवं 29(1)(ख)निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(क) अनुसूची-1 एवं 1(क) में उल्लेखित दर से नियत लगान लिया जाएगा ।

(ख) अनुसूची-2 एवं 2(क) में उल्लेखित दर से स्वामिस्व लिया जाएगा ।

(ग) लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा जिला खनिज (न्यास) नियमावली (**DMFT**) के प्रावधानों के तहत देय राशि का भुगतान करना होगा ।

(xii) 30A. लघु खनिज के पट्टा क्षेत्र में वृहत खनिज अथवा अन्य लघु खनिज की उपलब्धता:-

लघु खनिज के स्वीकृत खनन पट्टों में वृहत खनिज अथवा अन्य लघु खनिज की उपलब्धता पाये जाने पर पट्टाधारी 15 दिनों के भीतर उपायुक्त/जिला खनन पदाधिकारी को इस विषयक सूचना देंगे तथा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए खनन कार्य स्थगित कर देंगे । उपायुक्त/जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में वृहत खनिज अथवा अन्य लघु खनिज के वास्तविक उपलब्धता मात्रा एवं ग्रेड के संबंध में भूतत्व निदेशालय से जाँच करायेंगे। अन्य लघु खनिज के खनन योग्य मात्रा पाये जाने पर पट्टेधारी को उस खनिज को पट्टा में शमिल करने हेतु आवेदन करना होगा । वृहत खनिज के खनन योग्य मात्रा की उपलब्धता की स्थिति में पट्टेधारी को पट्टा प्रत्यार्पित करना होगा ।

परन्तु पट्टाधारी द्वारा उक्त क्षेत्र का प्रत्यार्पण नहीं किये जाने पर उन्हें 30 दिनों का वैधानिक नोटीस देते हुए पट्टा से उनका दखल समाप्त कर दिया जाएगा ।

परन्तु यह कि लोक नीलामी से स्वीकृति देने पर उच्चतम डाक पर उनका नीलामी लेने का पहला दावा होगा ।

(xiii) नियम-34 (A) (1) के उपरान्त नियम-34(A) (2) तथा 34(A)(3) निम्न प्रकार अन्तःस्थापित किया जाता है:-

34(A)(2) - यदि पट्टेधारी द्वारा खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम/समाशोधन के अनुरूप नहीं किया जा रहा हो तो उपायुक्त/सक्षम पदाधिकारी (जिला/सहायक खनन पदाधिकारी)/उप निदेशक, खान/अपर निदेशक, खान/निदेशक, खान द्वारा खनन कार्य निलम्बित करने का आदेश निर्गत किया जाएगा तथा उक्त खनन पट्टा से पुनः कार्य प्रारम्भ करने का तबतक आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा जबतक की पट्टेधारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना/खनन की स्कीम/समाशोधन के तहत स्थिति बहाल नहीं हो जाती है ।

34(A)(3)- जहां पर इन नियमों के लागू होने के पूर्व से बिना अनुमोदित खनन प्लान के खनन कार्य की जा रही थी ऐसे खनन पट्टाधारी को इन नियमों के लागू होने की तिथि से छः माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से अनुसूची-4 में अंकित बिन्दुओं के आलोक में खनन योजना तैयार कराकर अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत करना होगा ।

(xiv) नियम-34E के बाद अध्याय-4B जोड़ा जाएगा:-

अध्याय-4B

पर्यावरण का संरक्षण

34F पर्यावरण का संरक्षण-

(1) खनन पट्टा का प्रत्येक धारक खनन कार्य करते समय, पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिये यथासंभव पूर्व सावधानियाँ निम्नलिखित रीति से बरतेगा, अर्थात्-

(क) जहां कहीं भी उपरी मिट्टी विद्यमान है और खनन कार्य के लिये उसकी खुदाई की जानी है, वहां उसे पृथक से हटाया जायेगा ।

(ख) इस प्रकार से हटायी गयी उपरी मिट्टी का भविष्य के उपयोग के लिये भंडारण किया जायेगा ।

(ग) ढेरों को, उनसे सामग्री के बहकर निकलने से भूमि का ग्रेड घटने या कृषि क्षेत्र के नुकसान, सतही जल (Surface Water) संग्रह का प्रदूषण या बाढ़ कारित होने से रोकने के लिये समुचित रूप से सुरक्षित रखा जायेगा ।

(घ) ढेरों के लिये पट्टा क्षेत्र के भीतर यथा संभव अभेद्य एवं खनिज रहित स्थान चुना जायेगा ।

(ड़) उपरी मिट्टी के ढेरों का यथोचित रूप से चबूतरा बना दिया जायेगा और उसपर वनस्पति से या अन्यथा उन्हें स्थिर किया जायेगा ।

(2) इस प्रकार हटायी गयी उपरी मिट्टी का उपयोग उस भूमि के प्रत्यावर्तन या पुनरूद्धार करने के लिये किया जायेगा, जिसकी खनन कार्य के लिये आगे आवश्यक नहीं हो ।

(3) अधिभार इत्यादि का हटाया जाना, भण्डारण और उपयोग-

(क) खनन पट्टा/ खनन अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक, खनन के दौरान या आकारीकरण के दौरान जनित अधिभार, अनुपयोग चट्टान, कूड़ा करकट और सूक्ष्म कणों का अलग-अलग ढेरों में भण्डारण करेगा।

(ख) ढेरों को समुचित रूप से सुरक्षित किया जायेगा और उनके यथोचित रूप से चबूतरे बना दिये जायेंगे और उपर वनस्पति से या अन्यथा उन्हें स्थिर किया जायेगा।

(ग) जहां कहीं संभव हो, अनुपयोगी चट्टान, अधिभार इत्यादि को खदान के खुदे क्षेत्र में इस दृष्टि से पुनः भर दिया जायेगा, ताकि भूमि को यथा संभव उसके मूल रूप में उपयोग में लाये जा सके।

34G. भूमि का सुधार तथा उसका पुनरूद्धार- खनन पट्टा का प्रत्येक धारक-

(1) खनन कार्य से प्रभावित भूमि के क्रमिक प्रत्यावर्तन, उसके सुधार और उसके पुनरूद्धार का भार अपने उपर लेगा और इस कार्य को, ऐसी कार्य के पूर्ण किये जाने और खदान का परित्याग किये जाने के पूर्व, पूर्ण करेगा ।

(2) खनन कार्य ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि खनन पट्टा के अधीन धारित तथा समीपस्थ क्षेत्र के पेड़-पौधों को कम से कम नुकसान पहुँचे ।

(3) खनन पट्टा/खनन अनुज्ञापत्र का प्रत्येक धारक-

(क) उसी क्षेत्र में या उपायुक्त द्वारा चुने गये किसी अन्य क्षेत्र में, खनन कार्य के कारण नष्ट हुए वृक्षों की संख्या के कम से कम दुगुने वृक्षारोपण का तत्काल उपाय करेगा ।

(ख) पट्टे के अस्तित्व के दौरान उनकी देखभाल करेगा, तत्पश्चात् इन वृक्षों को जिस क्षेत्र में खदान अवस्थित है, उस ग्राम पंचायत को सौंप देगा, और

(ग) खनन कार्य द्वारा विनष्ट अन्य पेड़ पौधों को यथासंभव पूर्ववत करेगा ।

(4) खनन पट्टा/खनन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा इन नियमों का पालन करने में विफल रहने पर, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पुनरूद्धार तथा सुधार का व्यय, पट्टा/अनुज्ञापत्र् धारक द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन से वसूल करेगा ।

34H. सार्वजनिक स्थानों की क्षति, इत्यादि बाबत् सावधानियां- खनन पट्टा के प्रत्येक धारक द्वारा पट्टा/निर्धारित क्षेत्र के भीतर अथवा उसके समीपस्थ क्षेत्र में स्थित, सार्वजनिक भवन अथवा स्मारक, मार्ग, धार्मिक स्थानों को क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी रखेगा ।

34I. वायु, जल एवं पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि के संबंध में उपाय- खनन पट्टा के प्रत्येक धारक वायु एवं जल प्रदूषण से बचने एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु समस्त आवश्यक उपाय करेंगे औरवायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, यदि लागू हो, समस्त आवश्यक सहमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करेंगे एवं खनन/ओभरवर्डेन हटाने का कार्य के दौरान, यथास्थिति, सहमति में उल्लिखित समस्त आवश्यक कदम उठायेंगे/कार्रवाई करेंगे ।

34J. क्लस्टर खनन हेतु प्रावधान -

(1) "क्लस्टर" से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जहाँ राज्य सरकार द्वारा घोषित वह भौगोलिक सीमा जिसमें पूर्व से समेकित स्वीकृत खनन पट्टा/खनन अनुज्ञापत्र स्थित है अथवा जहां भविष्य में अनुमति दिया जाना हो । क्लस्टर का क्षेत्र यथासंभव 500 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा एवं क्लस्टर निर्माण के समय खनिज रियायतों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम नहीं होगा । 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले क्लस्टर के लिये रियायतों के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्र इसी अनुपात में होगा ।

(2) क्लस्टर के अंतर्गत उचित खनन प्लान जिसमें क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान (ईएमपी) सम्मिलित है कोई भी खनन पट्टा/खनन अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं किया जाएगा । पट्टा/अनुज्ञापत्र के क्लस्टर के लिये, पट्टेधारियों/अनुज्ञाधारियों के सहयोजन (Consortium) द्वारा मान्य योग्य व्यक्ति/एजेन्सी के माध्यम से क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान तैयार की जायेगी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय समाशोधन/सहमति हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान (ईएमपी) के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले छोटे पट्टेधारियों/अनुज्ञाधारियों द्वारा एक सहयोजन (Consortium) बनाया जायेगा । क्लस्टर की सीमा के अंतर्गत आने वाले पट्टे/अनुज्ञापत्र का धारक उक्त सहयोजन का सदस्य माना जायेगा । उक्त सहयोजन, तत्संबंधी कानून के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होगा ।

(4) क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान (ईएमपी) का मुख्य उद्देश्य, क्षेत्रीय पर्यावरण जोखिम का प्रबंधन करना होगा । क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्लान में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का समावेश होगा, अर्थात्:-

(1) सतही मिट्टी के हटाने एवं उपयोग ।
(2) अधिभार, अनुपयोगी पत्थर आदि का भंडारण ।
(3) भूमि का उद्धार एवं पुनरूद्धार ।
(4) वायु प्रदूषण के विरूद्ध सावधानियाँ ।
(5) अपशिष्ट का निकास ।
(6) ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध सावधानियाँ ।
(7) वनस्पति एवं जीव की बहाली ।
(8) जल प्रबंधन ।
(9) जोखिम प्रबंधन ।
(10) एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन ।

34K पर्यावरण प्रबंध कोष:-

(1) लघु खनन पट्टा क्षेत्र में पुर्नजीवित करने के उद्‌देश्य से एक पर्यावरण प्रबंधन कोष का गठन राज्यस्तर पर किया जायेगा । लघु खनिज के प्रत्येक खनन पट्टाधारी को देय स्वामिस्व का 1 प्रतिशत की दर से एक अंशदान की राशि उक्त कोष में जमा करना होगा, जिसका उपयोग वन, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के कार्य में किया जाएगा । ट्रस्ट का गठन एवं कार्य को परिभाषित करने के लिए पृथक अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(xv) नियम-54(1) के निम्न भाग में उल्लेखित "ऐसी दोषी व्यक्तियों को अधिकतम तीन माह की कैद अथवा अधिकतम 5000.00 (पाँच हजार) रूपये तक जुर्माना अथवा दोनो सजाएँ दी जा सकेगी" को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्ष की कैद अथवा अधिकतम 50,000/- (पचास हजार रूपये) जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ दी जा सकेगी।"

(xvi) नियम-54(5) को विलोपित कर निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

"यदि किसी वाहन का कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपर निदेशक, खान अथवा उप निदेशक, खान अथवा जिला/सहायक खनन पदाधिकारी अथवा समाहर्ता अथवा समाहर्ता या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म 'डी' में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है, तो उसे अधिकतम 01 वर्ष की कैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड दिया जा सकता है तथा दूसरी एवं तीसरी बार वैध परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उपरोक्त के अतिरिक्त दण्ड की राशि क्रमशः 50,000.00 (पचास हजार) रूपये एवं 1,00,000/- (एक लाख) रूपये होगी।' जाँच करने वाले पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को खनिज सहित जप्त किया जाएगा तथा जिसे किसी सरकारी प्रतिष्ठान में अथवा स्थानिय थाना प्रांगण में सुरक्षित रखा जाएगा । सक्षम पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्ता के उपरोक्त दण्ड शुल्क एवं इस आशय का बंध पत्र **(Bond Paper)** समर्पित किए जाने पर कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पर उपस्थित होंगें, वाहन को खनिज सहित छोड़ा जा सकता है, परन्तु अवैध परिवहनकत्र्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना न्यायायिक दण्डाधिकारी को दी जाएगी । बंध पत्र का प्रपत्र निदेशक, खान द्वारा अलग से परिचालित किया जाएगा ।

(xvii). नियम-55(3) का परन्तुक को विलोपित किया जाता है ।

(xviii).-61 को इस प्रकार पुर्नस्थापित किया जाता है:-

"बचाव तथा समाप्ति- इन नियमों के प्रारम्भ होने पर झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 इस हद तक संशोधित समझे जाएगें, परन्तु इस नियमावली (संशोधन नियमावली) के प्रभावी होने के पूर्व संबंधित नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत किए गए कार्या एवं अवशिष्टों को छोड़कर प्रतिस्थापित किया जाता है।"

(xix) नियम-62(4) के बाद नियम-62(5) इस प्रकार प्रतिस्थापित किए जाते है:-

"उपायुक्त या अन्य किसी प्राधिकार, जिसका उल्लेखन नियम-2 में हो के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर 1,000.00 (एक हजार) रूपये का शुल्क जमा कर पुनरीक्षण/अपील खान आयुक्त के समक्ष कर सकेगा, को प्रतिस्थापित किया जाता है।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश् से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव ।

अनुसूची 1 क

नियम -29(1) (क)

नियम 29 (1) (ख) अन्तर्गत खनिजों के लिए दिये गये पट्टों को लागू अनिवार्य भाटक दरें (**Deviated Rate**) निम्नलिखित हैः-

प्रतिवर्ष प्रति हे० अनिवार्य भाटक की दरें रूपये में		
पट्टे के दूसरे वर्ष से	पट्टे के तीसरे और चौथे वर्ष से	पंचावे वर्ष से आगे
400	1000	2000

2. मध्यम मूल्य के खनिजों के लिए प्रदत पट्टे की दशा पैरा 1 में विनिर्दिष्ट का दो गुना एवं उच्च मूल्य के लिए तीगुना ।

इस अधिसूचना का अभिप्राय है कि **MM(DR) (Amendment) Act, 2015** में परिभाषित उच्च एवं

मध्यम खनिज ।

अनुसूची 2 क

नियम 29 (1) (ख)

झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (संशोधन) नियमावली 2015, के द्वितीय अनुसूची के बाद निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाती है ।

नियम 9 (1) (ख) में उल्लेखित खनिज के संबंध में स्वामिस्व की दरें :-		
1	बैराइट्स	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का साढ़े छह प्रतिशत
2	कैल्साइट	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत
3	चिनी मिट्टी/कयोलिन (जिसके अंतर्गत **बॉल** क्ले तथा श्वेत शैल, श्वेतक्ले भी है)	कच्चा- यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का आठ प्रतिशत प्रसंस्कृत (जिसके अन्तर्गत धूली हुई भी है।)- यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत
4	अन्य क्ले	बीस रूपये प्रति टन
5	डोलोमाइट	पचहत्तर रूपये प्रति टन
6	डूनामाइट	तीस रूपये प्रति टन
7	फेल्सपार	यथामल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पंद्रह प्रतिशत
8	अग्निसह मृत्तिका (फायरक्ले)	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत
9	जिप्सम	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
10	चूना कंकड	अस्सी रूपये प्रतिटन
11	अपरिष्कृत अभ्रक, अपशिष्ट और कतरन	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का चार प्रतिशत

12	ऑकर	चैबीस रूपये प्रति टन
13	पाइरोफीलाईट	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
14	क्वार्टज	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का पन्द्रह प्रतिशत
15	बालू (अन्य)	बीस रूपये प्रति टन
16	शेल	साठ रूपये प्रति टन
17	सिलिका बालू, संचन बालू और क्वार्टजाइट	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का दस प्रतिशत
18	स्लेट	पैंतालिस रूपये प्रति टन
19	टैल्क, स्टोटाइट और सोपस्टोन	यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का अठारह प्रतिशत
20	वैसे सभी लघु खनिज जो यहॉ उपर विनिर्दिष्ट यथामूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत नही है (अगेट, कोरण्डम, डायस्पोर, फेलसाइट, फुस्काइट -क्वार्टजाइट, पायरोसेनाइट,)	यथा मूल्य आधार पर औसत विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत

अनुसूची 4

झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (संशोधन) नियमावली 2015, के तृतीय अनुसूची के बाद निम्नलिखित अनुसूची अन्तः स्थापित की जाती है।

निम्नांकित खनन प्लान में सम्मिलित होंगे-

(i) आवेदक का नाम

(ii) पता

शहर

जिला

पिन कोड

फोन नम्बर

ई-मेल

(iii) आवेदक की स्थिति

(iv) खनन प्लान बनाने वाले मान्य योग्य व्यक्ति का नामः

पता

शहर

जिला

पिन कोड

फोन नम्बर

ई-मेल

(v) मान्य योग्य व्यक्ति (RQP) का पंजीकरण क्रमांक अथवा राज्य सरकार का प्राधिकार स्वीकृति एवं नवीनीकरण की तारीख......................तक वैध

(vi) पूर्वेक्षण एजेन्सी का नाम एवं विवरण

(vii) पताः-

शहर

जिला

पिन कोड

फोन नम्बर

ई-मेल

(viii) क्या क्षेत्र का पूर्वेक्षण, भूतत्व निदेशालय अथवा किसी अन्य प्राधिकृत भूतात्विक अन्वेषण एजेंसी द्वारा किया गया है, यदि हां तो

पूर्वेक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न करें

(ix) अवस्थिति तथा अभिगम्यता

जिला, थाना, अंचल हल्का नम्बर, ग्राम,

खसरा क्रमांक/कक्ष क्रमांक

पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)

स्वामिस्व

यदि पास में कोई सार्वजनिक सड़क/रेलवे लाईन होने पर उसकी लगभग दूरी/

अक्षांश-देक्षांश सहित टोपोशीट क्रमांक

अरक्षित वन/संरक्षित वन के अंतर्गत क्षेत्र को

वन मानचित्र पर चिन्हांकित किया जाए

(x) खनिज निकाय की प्रकृति और विस्तार
दर्शित करने वाले क्षेत्र

(xi) स्थल अथवा स्थलों, जहां खनन
कार्य प्रस्तावित हो तथा उत्खनन
संक्रियाओं की प्रस्तावित अधिकतम गहराई

(xii) भू-गर्भीय जल अध्यन प्रतिवेदन

(xiii) अंतिम खनन प्लान, खनन का
वार्षिक कार्यक्रम तथा पांच वर्षों के लिए
वर्षवार उत्खनन हेतु प्लान

(xiv) माननवीय खनन या मशीनरी और
यांत्रिक युक्तियों के उपयोग द्वारा
खनन की सीमा

(xv) पर्यावरण की सुरक्षा, विशेषकर खनन
कार्य के कारण वायु एवं जल प्रदूषण के उपाय

(xvi) भूमि के पुनरूद्धार के उपाय

(xvii) खनन बंद करने की प्लान

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश् से,

सुनील कुमार वर्णवाल,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 149--50